

22⁴/₂₂

आज यह फावली पेस हुई। वारी एवं वकील वारी अनुपस्थित। प्रालिवादी एवं प्रालिवादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार आवाज लगाने से आवण्टमी सार्थक नहीं लगे व सुलाम एवं फाइलान में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अतः प्रकरण अदम दफरी एवं अदम फेखी में खारिज किया जा रहा है। फावली अदम फेखी में फेखल सुमात्र लेकर शिफारस से काम संपन्न बाद पूरी दारिखत दफर हो

(Signature)
200